न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 17/2024 रजू दिनांकः– 03.09.2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना (आर.ए.एस)

उनवान

सुग्रीव पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी। प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम। अप्रार्थी

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः– श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट वादी

पेरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः– 30.01.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बौल की आराजी ख0 न0 515/0.26, 530/0.30, 512/0.42, 240/0.05, 241/0.04, 267/0.06, 227/0.16, 280/0.09, 2465/0.33, 2466/0.08, 2480/0.04, 2481/0.07, 2482/0.06, 2483/0.07, 2484/0.13, 2485/0.13, 2493/0.02, 2497/0.28, 2498/0.19, 2499/0.06, 2500/0.04, 2501/0.04, 2502/0.04, 2503/0.03, 2794/0.22, 2795/0.16, 838/0.49, 388/0.13, 389/0.11, 522/0.10, 523/0.15, 529/3353/0.06, 538/0.18, 1035/0.05, 1005/0.02, 1006/0.23, है0 मे प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–79 अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम सुग्रीव पुत्र राजल्ली दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम सुग्रीव पुत्र रामकरण है जो प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड तथा सरपंच के लैटरपेड पर प्रार्थी का सही नाम सुग्रीव पुत्र रामकरण दर्ज है। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती से प्रार्थी का नाम सुग्रीव पुत्र राजल्ली दर्ज कर दिया है। जिसको दूरूस्त करके प्रार्थी के दस्तावेज के आधार पर सही नाम सुग्रीव पुत्र रामकरण दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

बाका दिनांक 31.08.2024 को तहसीलदारजी टोडाभीम से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि आप उप जिला कलक्टर टोडाभीम के यहा दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करो इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0 न0 515/0.26, 530/0.30, 512/0.42, 240/0.05, 241/0.04, 267/0.06, 227/0.16, 280/0.09, 2465/0.33, 2466/0.08, 2480/0.04, 2481/0.07, 2482/0.06, 2483/0.07, 2484/0.13, 2485/0.13, 2493/0.02, 2497/0.28, 2498/0.19, 2499/0.06, 2500/0.04, 2501/0.04, 2502/0.04, 2503/0.03, 2794/0.22, 2795/0.16, 838/0.49, 388/0.13, 389/0.11, 522/0.10, 523/0.15, 529/3353/0.06, 538/0.18, 1035/0.05, 1005/0.02, 1006/0.23, है0 मे प्रार्थी का नाम सुग्रीव पुत्र राजल्ली के स्थान पर सुग्रीव पुत्र रामकरण दर्ज करने के आदेश फरमावा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:13:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Scanned with OKEN Scanner

मु0न0:– 17/2024

उनवानः– सुग्रीव बनाम तहसीलदार

जावे तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब पेश किया कि ग्राम बौल की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 450, 451, 583, 584, 585, 587, 588, 589, 590 मे सुग्रीव पुत्र रजल्ली, रामकरण पुत्र रजल्ली जाति मीना हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के खाता न0 110, 112, 113, 115, 116, 398, 399, मे रजल्ली , रामकरण पुत्र जंगली जाति मीना हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खाता नम्बरान के आगे नामांतकरण न0 487 दिनांक 05.07.2009 मे विरासत से रजल्ली के स्थान पर सुग्रीव पुत्र रजल्ली के स्वीकार होने का अंकन है। वादी सुग्रीव के पिता रामकरण पुत्र जंगली है जबकि रजल्ली पुत्र जंगली के वास्तविक वारिसान एक पुत्र बाली, व दो पुत्री मुनेशी व रेखा है जो कि फौत हो चुके है। जमाबन्दी सम्वत 2064–67 मे रजल्ली, रामकरण पुत्र जंगली जाति मीना दर्ज रिकार्ड है जिससे यह प्रतीत होता है कि रजल्ली व रामकरण दोनो भाई है रजल्ली के फौत होने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा रजल्ली का विरासत का नामांतकरण खोलते समय रजल्ली के वास्तविक वारिसान के नाम नामांतकरण दर्ज नही कर सुग्रीव पुत्र रजल्ली के नाम से दर्ज कर दिया गया था जबकि सुग्रीव का वास्तविक पिता रामकरण है। जिसका वादी द्वारा वादपत्र मे कथन किया गया है रामकरण पुत्र जंगली वर्तमान मे जीवित है। इससे स्पष्ट है कि वादपत्र इन्द्राज दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का प्रतीत होता है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–79 अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त भमि मे प्रार्थी का नाम सुग्रीव पुत्र राजल्ली दर्ज है, जबकि प्रार्थी का सही नाम सुग्रीव पुत्र रामकरण है जो प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड तथा सरपंच के लैटरपेड पर प्रार्थी का सही नाम सुग्रीव पुत्र रामकरण दर्ज है। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियो की गलती से प्रार्थी का नाम सुग्रीव पुत्र राजल्ली दर्ज कर दिया है। जिसको दूरूस्त करके प्रार्थी के दस्तावेज के आधार पर सही नाम सुग्रीव पुत्र रामकरण दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि जबाब वादपत्र मे अंकित तथ्यो को ही बहस स्वीकार किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम बौल की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 450 मे कुल किता 2 कुल रकवा 0.56 है0 मे सुगीव पुत्र राजल्ली हिस्सा 1/2 का, खाता न0 451 मे कुल किता 1 कुल रकवा 0.42 है0 मे सुगीव पुत्र राजल्ली हिस्सा 1/2 का, खाता न0 583 मे कुल किता 3 कुल रकवा 0.15 है0 मे सुगीव पुत्र रजल्ली हिस्सा 1/16 का , खाता न0 584 मे कुल किता 2 कुल रकवा 0.25 है0 मे सुगीव पुत्र राजल्ली हिस्सा 1/16 का, खाता न0 585 मे कुल किता 18 कुल रकवा 1.99 है0 मे सुगीव पुत्र रजल्ली हिस्सा 1/64 का, खाता न0 587 मे कुल किता 1 कुल रकवा 0.49 है0 मे सुगीव पुत्र राजल्ली हिस्सा 1/12 का, खाता न0 588 कुल किता 6 कुल रकवा 0.73 है0 मे सुगीव पुत्र रजल्ली हिस्सा 1/8 का, खाता न0 589 मे कुल किता 1 कुल रकवा 0.05 है0 मे सुगीव पुत्र रजल्ली हिस्सा 1/16 का, खाता न0 [illegible] किता 2 कुल रकवा 0.25 है0 मे सुगीव पुत्र रजल्ली हिस्सा 1/16 का, खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल प्रार्थी के आधार कार्ड न0 3448 7786 3708, सरपंच ग्राम [illegible] द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे सुग्रीव पुत्र रामकरण निवासी बौल का अंकन है। [illegible] टोडाभीम की रिपोर्ट के साथ सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के खाता न0 110, 112, 113, 1[illegible] 116, 398, 399, मे दर्ज खातेदारान अनुसार रजल्ली , रामकरण पुत्र जंगली जाति मीना हिस्सानुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड होने से रजल्ली व रामकरण दोनो सगे भाई होना साबित है। रजल्ली के फौत होने पर विरासत नामांतकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:13:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न0 487 दिनांक 05.07.2009 मे विरासत से रजल्ली के स्थान पर सुग्रीव पुत्र रजल्ली के स्वीकार होने का अंकन है। वादी सुग्रीव के पिता रामकरण पुत्र जंगली है रजल्ली के फौत होने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा रजल्ली का विरासत का नामांतकरण खोलते समय रजल्ली के वास्तविक वारिसान के नाम नामांतकरण दर्ज नही कर रामकरण के पुत्र सुग्रीव के नाम से दर्ज कर दिया गया था जबकि सुग्रीव का वास्तविक पिता रामकरण है। रामकरण पुत्र जंगली वर्तमान मे जीवित है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र इन्द्राज दुरूस्ती का नही होकर अपील नामांतकरण का प्रतीत होने से स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:13:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner